गृह मंत्रालय
भारत सरकार

करें उन जांबाज़ों को नमन जिनसे देश है अखंड

आंतरिक सुरक्षा बलों का सम्मान

राष्ट्रीय एकता दिवस
31 अक्टूबर, 2026
एकता नगर, गुजरात

एक ही जगह देखें, एकता के रंग अनेक

भारत पर्व
1 से 15 नवंबर, 2026
एकता नगर, गुजरात

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय एकता दिवस

जानकारी और ठहरने की बुकिंग के लिए स्कैन करें या विज़िट करें rashtriyaektadiwas.com

CBC 19101/13/0017/2627

बहुचर्चित हत्याकांड में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने दिया आदेश

# इंस्पेक्टर की हत्या में दोषी को 10 साल कैद, जुर्माना

**अदालत से**

**लखनऊ, विधि संवाददाता।** प्रतापगढ़ जिले के बहुत चर्चित इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी बोचा उर्फ राजू सोनी उर्फ राजू को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह आदेश सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश मधु डोगरा ने दिया। राजू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज था। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी दोषी करार दिया है। उस पर 9000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।

सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतक इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह 19 नवंबर 2015 को पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में तैनात थे व प्रतापगढ़ के वैष्णवी होटल में ठहरे थे। अदालत को बताया गया कि शाम करीब 7:30 बजे होटल के भूतल पर स्थित मॉडल बियर शाप की पार्किंग में मोटरसाइकिल निकालने को लेकर अभियुक्त एवं उसके साथी जीशान खान का अभिषेक त्रिपाठी व उसके दोस्तों से विवाद हो गया था। अदालत को बताया गया कि दोनों ने तमंचे से फायर की। फायर की आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह सीढ़ियों से नीचे उतरे तभी उनके सीने में गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना में नर्मदेश्वर मिश्रा एवं अभिषेक त्रिपाठी भी घायल हुए थे। अदालत को बताया गया कि घटना की रिपोर्ट 20 नवंबर 2015 को आरोपी बोचा एवं उसके साथी जीशान के खिलाफ मृतक के भाई विनोद कुमार ने दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन बोचा एवं जीशान को गिरफ्तार कर दो देशी तमंचे 315 बोर एवं 32 बोर तथा कारतूस एवं यामहा मोटर साइकिल बरामद किया था। घटना के अनुसार उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के 23 मई 2018 के आदेश पर मामले की विवेचना सीबीआई को सौंपी गई। जिस पर 29 जून 2018 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया और 19 फरवरी 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था।बाद में 14 दिसंबर 2022 को आरोप तय किए गए। आरोपी जीशान खान को पहले ही 2 मई 2026 को सजा सुनाई जा चुकी है।

## रिश्वत लेने के आरोपी की जमानत खारिज

**लखनऊ।** किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी कौशलेन्द्र पाल उर्फ सोनू की जमानत अर्जी को विशेष न्यायधीश, सीबीआई चन्द्रमोहन मिश्र ने निरस्त कर दिया है। वरिष्ठ लोक अभियोजक अजय पाल ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने 29 सितंबर 2026 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। कहा गया कि विधवा चाची सुदामा देवी ने पंजाब नेशनल बैंक की अलीगंज शाखा, आंवला से केसीसी ऋण के लिए आवेदन किया था। जब लोन के संबंध में पूछताछ के लिए शाखा प्रबंधक प्रखर पराशरी के पास गया तो उसने सोनू से मिलने को कहा। शिकायत के आधार पर 30 सितंबर 2026 को सीबीआई की ट्रैप टीम ने आरोपी को रिश्वत के 12 हजार रुपए लेते दबोच लिया था।

# बिना पुनर्वास दुकानदारों को उजाड़ना निंदनीय : हाईकोर्ट

**लखनऊ, विधि संवाददाता।** हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए दुकानदारों को बिना पुनर्वास या मुआवजा दिए बेदखल करने की कार्रवाई को निंदनीय करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि पट्टे पर दुकानें आवंटित होने और दुकानदारों के पट्टेदार का दर्जा हासिल होने के बावजूद उन्हें बिना पट्टा समाप्त किए परिसर खाली करने के लिए कहना अनुचित है। इससे उनकी आजीविका का अधिकार प्रभावित होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने मोहम्मद नईम व पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवायी करते हुए, यह आदेश पारित किया है। न्यायालय ने कहा कि 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण जनहित में है लेकिन अपनी आजीविका के लिए कारोबार कर रहे दुकानदारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें पुनर्वास या नुकसान के बदले मुआवजा देना भी जरूरी है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताए कि प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास या मुआवजे के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। याचियों का कहना है कि उन्हें वर्ष 2000 में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय सोसायटी, फैजाबाद की ओर से 30 वर्ष के पट्टे पर दुकानें आवंटित की गई थीं। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 28 फरवरी 2000 को उन्हें दुकानों का कब्जा सौंपा गया था। नियमावली के तहत पट्टे को प्रत्येक 30 वर्ष बाद नवीनीकृत किए जाने का प्रावधान था।

## ब्यूटीशियन और मजदूर ने जान दी

**लखनऊ।** चिनहट के आदर्श नगर में ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली स्नेहा चौधरी ने फांसी लगा ली। घर के अंदर फंदे पर उनका गुरुवार रात शव लटका मिला। उधर, आलमबाग श्रम विहार कालोनी में लाल बाबू (45) ने फांसी लगा ली। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक स्नेहा आदर्श नगर में रहती थी। उनके पति योगेंद्र प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। छह माह पहले ही शादी हुई थी। योगेंद्र ने बताया कि स्नेहा ब्यूटीशियन का कोर्स कर पार्लर में ट्रेनिंग कर रही थी।

# मकान कब्जे के विरोध पर बंधक बनाकर मारपीट की

**लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।** चिनहट इलाके में मकान कब्जे के विरोध पर दबंगों ने सुलतानपुर के व्यवसायी दिलजान अली को दो लोगों ने बंधक बनाकर पीटा। जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने हमलावारों पर चेन लूट का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश कर रही है।

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक दिलजान अली सुलतानपुर के मुबारकपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि 6 अक्टूबर 2020 को चिनहट के कंचनपुर मटियारी में मकान खरीदा था। पत्नी की तबीयत खराब होने से वह सुलतानपुर लौट गए। आरोप है कि 20 मई 2023 को मकान पर पहुंचे तो ताला टूटा था। अंदर गीता रावत नाम की महिला रह रही थी। विरोध पर एससीएसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई। थाने में तहरीर दी तत्कालीन पुलिस कर्मियों ने सुनवाई नहीं की।

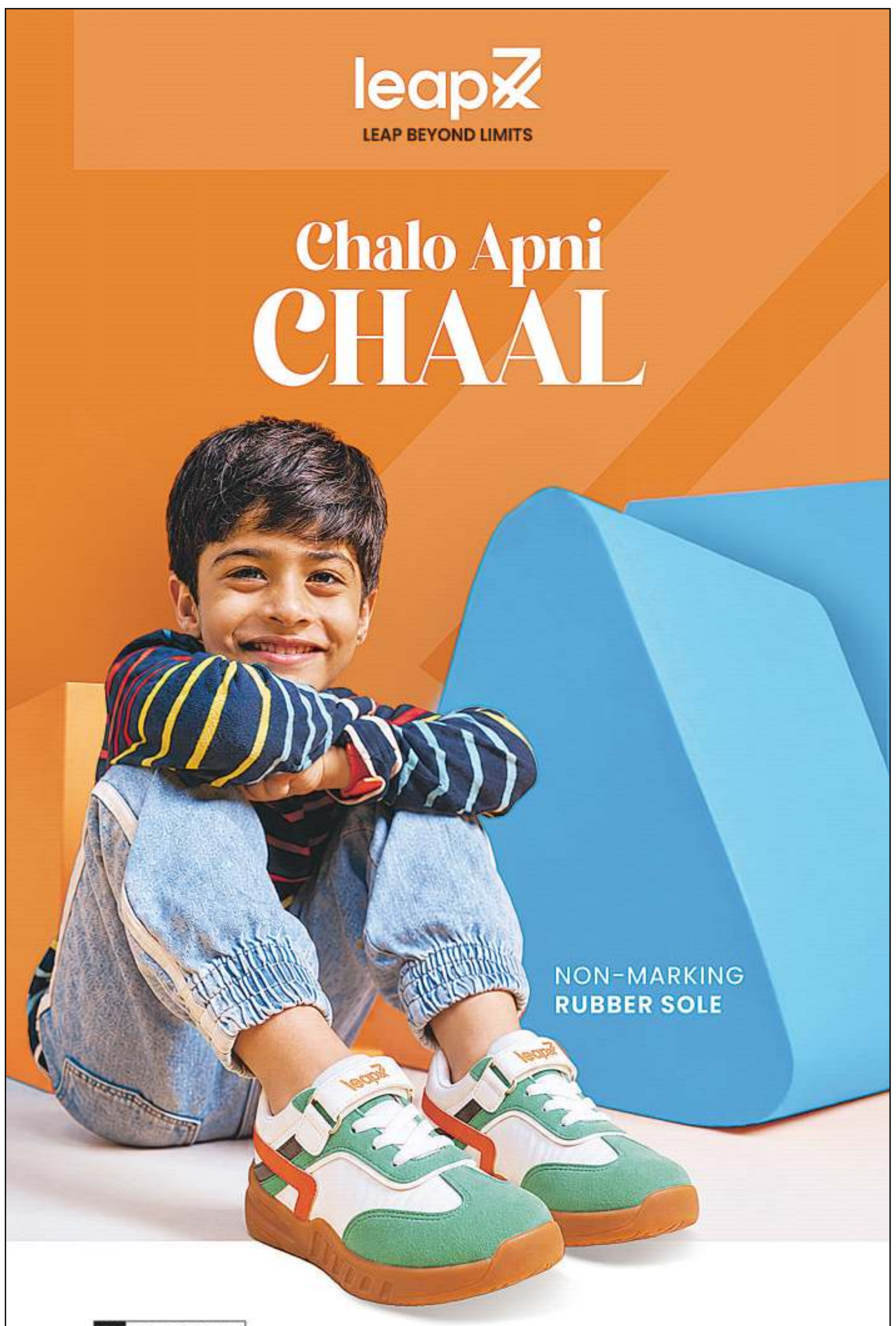


# पॉलिसी के नाम पर बीबीएयू के प्रोफेसर से ठगे 50 लाख

**जालसाजी**

**लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।** बीबीएयू के प्रोफेसर दिनेश राज मोदी को साइबर जालसाजों ने फोन किया। निष्क्रिय बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कराने का झांसा दिया। नवीनीकरण प्रक्रिया के नाम पर छह माह में 50.19 लाख रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलते ही प्रोफेसर ने तत्काल साइबर थाने को सूचना दी। 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाने की टीम ने जालसाजों के बैंक खाते में 22 लाख रुपये फ्रीज करा लिए। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर साइबर थाना आलोक राव के मुताबिक प्रोफेसर दिनेश राज मोदी ने बताया कि अप्रैल में उनके पास फोन आया। फोन करने वाले ने एलआईसी मुख्यालय दिल्ली के अकाउंट विभाग का कर्मचारी बताया। उसने अपना नाम विक्रम सिंह बताया। निष्क्रिय बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कराने और ज्यादा ब्याज देने का झांसा दिया। उसने एक नंबर दिया और कहा कि इस पर व्हाट्सऐप कॉल कर लें। उस नंबर पर व्हाट्सऐप कॉल की गई। फोन रिसीव करने वाले ने कहा कि वह अनित बोल रहा है। उसने नवीनीकरम प्रक्रिया के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की। उसके बताए गए खाते में रकम ट्रांसफर कर दी।

## पुलिस ने 22 लाख रुपये फ्रीज कराए

प्रोफेसर ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की तो पुलिस ने जालसाजों के खातों में पड़े 22 लाख रुपये फ्रीज करा दिए। उन्होंने बताया ठगों ने बातों में फंसाकर कई मदों में 16 अप्रैल से 16 अक्तूबर तक उसने 48 लाख रुपये और विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए। रुपये ट्रांसफर होने पर रकम स्क्रीन पर लगातार बढ़ती दिख रही थी। इसके बाद वह और रुपयों की डिमांड करता रहा। उसकी कुछ बातों पर संदेह होने पर रुपये देने से मना किया तो उसने फोन काट दिया। ठगी का पता चला। इसके बाद 1930 और एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मोबाइल नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

# 25 साल से फरार चारा घोटाले का आरोपी चारबाग से गिरफ्तार

**लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।** चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन से शुक्रवार सीबीआई की रांची टीम ने बिहार के चर्चित चारा घोटाले के आरोपी को गिरफ्तार किया। वह 25 साल से फरार चल रहा था। जीआरपी थाना, चारबाग में कानूनी प्रकिया पूरी करने के बाद रात को टीम उसे अपने साथ रांची ले गई।

आरोपी की पहचान सत्येंद्र कुमार पुत्र योगेंद्र कुमार के रूप में हुई है। उसके खिलाफ रांची की विशेष अदालत से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची की टीम ने 23 अक्तूबर को तड़के 2:40 बजे उसे गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से लखनऊ चारबाग जीआरपी के थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।

## जिला बदर अपराधी को पुलिस ने दबोचा

**मोहनलालगंज।** छह माह के लिए जिला बदर किया गया अपराधी गुरुवार की रात्रि सिसेंडी बाजार में घूम रहा था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केशरी खेड़ा के राजेन्द्र को अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के चलते कोर्ट ने जिला बदर घोषित किया था।

# तीन मकानों और मंदिर से उड़ाया लाखों का माल

- गोमतीनगर, सुशांत गोल्फ सिटी और नाका इलाके में हुई घटना
- चोरों के खिलाफ मुकदमा, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी

**लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।** बेखौफ चोरों ने तीन मकानों और एक मंदिर का ताला तोड़कर लाखों का माल पार किया। यह घटनाएं गोमतीनगर, इंदिरानगर, सुशांत गोल्फ सिटी और नाका इलाके में हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सीसी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

गोमतीनगर विराटखंड में असलहों से तीन बदमाश व्यवसायी अविनाश दुबे के घर घुसे। घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवर पार कर ले गए। अविनाश के मुताबिक 19 दिसंबर को घर पर कोई नहीं था। रात 2 बजे बाइक से तीन हथियारबंद बदमाश पहुंचे। ताला तोड़कर लॉकर से लाखों के आभूषण और किरायेदार चरणदीप के 25 हजार चुरा ले गए। चोर सीसी फुटेज में कैद हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने घटना की तहरीर गोमतीनगर थाने में दी। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि फुटेज से तलाश जारी है।

इंदिरानगर निवासी सुधा सिंह के घर का ताला तोड़कर चोर नकदी और जेवर पार कर ले गए। सुधा के मुताबिक कुछ दिन पहले शहर के बाहर गई थी थी। 20 अक्तूबर को उन्हें पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी की सूचना दी। लौटने पर देखा कि कमरों के ताले टूटे पड़े थे। चोर अलमारी में रखे 50 हजार रुपये और कुछ जेवर पार कर ले गए। इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश मौर्या ने बताया कि घटनास्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही हैं। उधर, सुशांत गोल्फ सिटी निवासी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के घर का ताला तोड़कर 13 अक्तूबर को घुसे चोर पांच लाख की नकदी अन्य सामान पार कर ले गए। राजेंद्र के मुताबिक चोर बाथरूम की छह टोटी और पांच लाख रुपये चोरी हो गए। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। वहीं, नाका इलाके के दुर्विजयगंज स्थित पंच परमेश्वर मंदिर में 18 अक्तूबर की रात घुसे चोर जेवर और नकदी पार कर ले गए। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोर चांदी की पायल और दानपात्र में रखी नकदी चुरा ले गए। थाना प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया कि फुटेज में दो लोग दिखे हैं, चिह्नित किया जा रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | प्रोपराइटर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | मेसर्स संजू कुमारी | श्रीमती संजू कुमारी |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | प्रोपराइटर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | मेसर्स पारंगत डिजाइन | श्रीमती जागृति दुबे |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | पार्टनर का नाम | |
|---|---|---|---|
| 1. | अनमोल एसोसिएट्स | श्री राकेश शर्मा | श्री महेन्द्र शर्मा |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

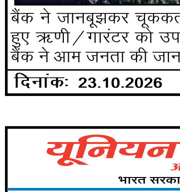

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | प्रोपराइटर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | मेसर्स मंजू हाउसिंग | श्रीमती मंजू सिंह सिंहला |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

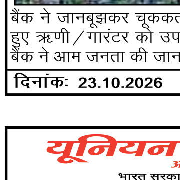

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | प्रोपराइटर का नाम |
|---|---|---|
| 1. | सांई क्रिएशन्स | श्री राजेश मेहरा |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
A Government of India Undertaking
शाखा: एआरबी, लखनऊ, भूतल, विभूति खंड, मंत्री आवास के पास, गोमती नगर, लखनऊ, यूपी-226010

**सार्वजनिक सूचना**

आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न निर्दिष्ट नियत प्रकिया का पालन करते हुए बैंक के/आरबीआई के मौजूदा नियमों एवं विनियमों की शर्तों में निम्नलिखित ऋणी/व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर घोषित किया है:

| क्र.सं. | खाते का नाम | पार्टनर एवं जमानतकर्ता का नाम | |
|---|---|---|---|
| 1. | मेसर्स खोरदा इंटरप्राइज | आशीष अग्रवाल | आकांक्षा जिंदल |

बैंक ने जानबूझकर चूककर्ता के तौर पर उसे घोषित करने हेतु बैंक के निर्णय को सूचित करते हुए ऋणी/गारंटर को उपयुक्त संचार भेजे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत अनुसार, बैंक ने आम जनता की जानकारी हेतु जानबूझकर चूककर्ता की फोटोग्राफ प्रकाशित की है।

दिनांक: 23.10.2026 कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

**शाखा आफिस - एआरएमबी, लखनऊ**
निकट कपूरथला चौराहा, अलीगंज, लखनऊ-226024
मो. नं. 9820211978 ईमेल: cs8272@pnb.bank.in

**अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

ई–नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई–नीलामी "जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो" के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण**

| क्र सं | शाखा का नाम / खाते का विवरण / उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता | अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित) | अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 / ब)बकाया राशि / स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / द)कब्जा का प्रकार–रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा | अ)आरक्षित मूल्य / ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि) / स) वृद्धिशील बिड धनराशि | ई–नीलामी की तिथि व समय | प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : SUNDRY NPA/SARFAESI/AUCTION RELATED NO.827200317118A आईएफएस कोड (IFS code)-PUNB0827200 नोडल अधिकारी - श्री एन्थोनी खलखो, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी, लखनऊ, मो. +91 9820211978 | | | | | | |
| 1 | शाखा : एआरएमबी लखनऊ (मूल शाखा: लखनऊ (026620) खाता का नाम–मेसर्स न्यू रूही गारमेंट्स, खाता नं. 0266210037208 उधारकर्ता–1. मेसर्स न्यू रूही गारमेंट्स, प्रोपराईटर श्री सैयद अब्दुल रहमान, दुकान संख्या–58, एलडीए मार्केट, नक्खास लखनऊ–226003, 2. श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र स्व. जलालुद्दीन, साथ ही स्व0 जलालुद्दीन के विधिक उत्तराधिकारी, पता– 1. दुकान संख्या 58 एलडीए मार्केट नक्खास, लखनऊ 226003। पता– 2. मकान संख्या 292/74/1 रज़ा बिल्डिंग, नक्खास, लखनऊ 226003। 3. श्री सैयद अब्दुल रहमान पुत्र स्व. जलालुद्दीन, (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी, पता– 1. मकान संख्या 292/74/1 रज़ा बिल्डिंग नक्खास, लखनऊ 226003। पता– 2. दुकान संख्या 58 एलडीए मार्केट नक्खास, लखनऊ 226003। | सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टॉवर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) स्थित 37, कैंट रोड, लखनऊ, कैसरबाग एवं बर्लिंगटन क्रासिंग के मध्य। सम्पत्ति मालिक श्री जलालुद्दीन पुत्र श्री हाजी असगर अली। क्षेत्रफल. 1200वर्गफीट (111.52 वर्ग मीटर) (विक्रय विलेख नं. 1257 /04 बुक नं. 1 वाल्यूम संख्या 4169, पृष्ठ संख्या 157 से 198, पर दिनांक 04.02.2004 को पंजीकृत) चौहददी (डीड के अनुसार): उत्तर: मार्ग और फ्लैट संख्या ई–1, दक्षिण: हरमैन अस्पताल, पूर्व: गली, पश्चिम: लखनऊ पब्लिशिंग हाउस। | अ) 27-05-2026 समाचार पत्र में प्रकाशित 08-06-2026 ब)रू. 51,62,854.00 (दि- 30-09-2026 को +ब्याज दि- 01-10-2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे, घटाओं वसूली यदि कोई हो तो, स) 11-08-2026 समाचार पत्र में प्रकाशित 13-08-2026 द) सांकेतिक कब्जा | अ)रू 36,72,000/- ब)रू. 3,67,200/- 26-11-2026 रात्रि 11.00 बजे तक स)रू. 10,000/- | 27-11-2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे | कोई अधिभार ज्ञात नही |
| | 4. सैयद मोहम्मद अबूबकर पुत्र स्व. जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी), पता– 1. फ्लैट संख्या ई–2, 37 कैंट रोड एफआई टावर, बार्लिंगटन चौराहा, लखनऊ 226001, पता– 2. ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001 5. अस्मा पुत्री स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी,), पता–1. फ्लैट नंबर ई –2, 32 कैंट रोड बार्लिंगटन क्रॉसिंग, मेडवेल अस्पताल के पीछे लखनऊ 226001, पता–2. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001 6. रूही सिद्दीकी पुत्री स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी), पता–1. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001, पता 2. : 30 पटवारी नई मस्जिद के पास बिजनौर लखनऊ 226002। 7. श्रीमती सरवर जहां पत्नी स्वर्गीय जलालुद्दीन (स्वर्गीय जलालुद्दीन (जमानतकर्ता/बंधककर्ता) के विधिक उत्तराधिकारी,), पता–1. 292/74/1 रजा बिल्डिंग नखास लखनऊ 226003। पता–2. फ्लैट संख्या ई–2, प्रथम तल, एफ.आई. टावर, मुख्य कैंट रोड से 70 मीटर दूर, (गोपी नाथ श्रीवास्तव रोड) 37, कैंट रोड लखनऊ 226001, | | | | | |

**नियम एवं शर्ते–** बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com में दिए गए लिंक को देखें।

**बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।**

दिनांक 22.10.2026, स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार